# निविदा सूचना

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय -जोधपुर हेतु चार टैक्सी, हेतु सक्षम टैक्सी संचालकों से बंद लिफाफे में कोटेशन दिनांक 20/11/2024, **सांय 5 बजे** तक आमंत्रित की जाती है। यह व्यवस्था राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय -जोधपुर, भावी टैक्सी संचालक / टैक्सी कार स्वामी के मध्य लिखित समझौते के अनुरूप लागू होगी । सेवा प्रदाता चयन संबंधित प्रक्रिया के संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा । कोटेशन हमारे द्वारा निर्धारित प्रारूप मे ही मान्य होगा ।

**आवश्यक शर्तें :-**

1. चयनित टैक्सी संचालक / ड्राईवर को 1 जनवरी 2025 (01.01.2025) से टैक्सी प्रयोग हेतु उपलब्ध करवानी होगी ।
2. टैक्सी किराये का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा, किसी भी अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
3. निविदाकर्ता फर्म स्थानीय होनी चाहिए|
4. कार का पंजीयन वर्ष 2023 से पूर्व का नहीं होना चाहिए ।
5. गाड़ी सफ़ेद कलर की सिडान जैसे मारुति सुजुकी डिज़ायर/ टोयोटा इटीओज/ होंडा अमेज़/ हुंडई औरा (Maruti Suzuki-Dezire / Toyota-Itios/Honda Amaze/ Hyundai Aura) या समकक्ष वातानुकूलित (A/c) होनी चाहिए ।
6. गाड़ी का पंजीयन टैक्सी नंबर से होना अनिवार्य है ।
7. टैक्सी संचालक का चयन, चयन समिति द्वारा किया जाएगा ।
8. वातानुकूलित गाड़ी का मासिक किराया 2000 कि॰ मी॰ तक चलने का किराया कोट (लिखें) करे जीएसटी अतिरिक्त देय होगा । निर्धारित सीमा से अधिक चलने पर गाड़ी हेतु रु 10.00/- प्रति कि॰ मी॰ की दर से किराया देय होगा
9. गाड़ी 24x7 आधार पर पूर्ण माह( 30 दिन/31 दिन ) किराए पर ली जावेगी। अर्थात गाड़ी व ड्राइवर प्रतिदिन 24 घंटे की सेवा प्रदान करने हेतु अनुबंधित होंगे । Logbook रीडिंग हेतु दूरी की गणना अधिकारी के pick up स्थल व Drop स्थल के बीच की दूरी के आधार पर तय होगी । लेकिन यदि
   A) बैंक आवश्यकतानुसार रविवार या बैंक अवकाश के दिन को गाड़ी बुलाने की स्थिति में अतिरिक्त राशि रु 500/- प्रति दिवस के आधार पर भी देय होगी । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/ओवरटाइम देय नहीं होगा।
   B) स्थानीय (जोधपुर) में एक दिन में 12 घंटे (सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक) से अधिक गाड़ी चलने पर अतिरिक्त राशि रु 60/- प्रति घंटा भी देय होगी । जोधपुर से बाहर जाने पर यह राशि/भत्ता देय नहीं होगा ।
10. जोधपुर से बाहर जाने पर रात्रि ठहराव हेतु भुगतान योग्य राशि रू॰ 300/- प्रति रात्रि होगी अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा ।
11. टैक्सी बैंक को रिटेनरशिप आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि गाड़ी का कानूनी मालिकाना अधिकार गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी का होगा। गाड़ी को अनवरत प्रयोग के लिए तैयार रखना होगा। ब्रेक डाउन / फैलियर के मामले में गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी को वैकल्पिक गाड़ी की व्यवस्था करनी होगी तथा इसकी पूर्व सूचना बैंक को उपलब्ध करानी होगी तथा ऐसी स्थिति आने पर यदि बैंक को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़े तो उस पर होने वाले खर्च की वसूली भी गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी से वसूलने का अधिकार बैंक को होगा ।
12. गाड़ी का रख – रखाव, अनुरक्षण पूर्णत: गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी द्वारा किया जाएगा । टैक्सी के उचित संचालन

हेतु लुब्रिकेंट्स, फ्युल ऑइल, कूलेंट, बैटरी, टायर, ट्यूब आदि तथा दैनिक प्रयोग के लिए आवश्यक कलपुर्ज़ों की व्यवस्था गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी को अपने खर्चे पर करनी होगी ।

13. गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी को एक लोगबुक रखनी होगी ताकि टैक्सी के चलने का हिसाब रखा जा सके । लोगबुक में जो भी प्रविष्ठी की जाए इसका प्रमाणीकरण टैक्सी प्रयोगकर्ता अधिकारी से प्रतिदिन करवाना होगा और माह की समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा पुष्टि करने पर इसी आधार पर भुगतान किया जाएगा ।
14. टैक्सी के किराये का भुगतान केवल मासिक आधार पर ही किया जाएगा और आयकर की कटौती नियमानुसार स्त्रोत पर की जाएगी टैक्सी के किराए का भुगतान बैंक में गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी नाम के खाते में किया जाएगा ।
15. गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी को पूरे माह के लिए एक ही चालक उपलब्ध करना होगा । विशेष परिस्थितियों में यदि चालक को बदलने की आवश्यकता हुई तो इसकी पूर्व सूचना बैंक को उपलब्ध करानी होगी ।
16. टैक्सी चालक को उचित वर्दी (ब्लू शर्ट तथा ब्लैक/ ब्लू पेंट) पहननी होगी तथा वह व्यवहार कुशल होना चाहिए । उसके पास अपेक्षित ड्राइविंग लाईसेंस होना आवश्यक है । गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी, टैक्सी में प्राथमिक उपचार पेटी (फ़र्स्ट एड बॉक्स) उपलब्ध करना होगा ।
17. टैक्सी गाड़ी में पर्याप्त स्टोरेज क्षमता होनी चाहिए ताकि बाहय यात्रा में किसी भी प्रकार असुविधा न हो |
18. गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी को निम्न लिखित सभी व्ययों का भुगतान स्वयं करना होगा और अनिवार्य रूप से स्वयं मालिक को ही करना होगा ।
    - क : व्यापक बीमा प्रीमियम
    - ख : सड़क कर
    - ग : प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र
19. यदि यातायात अधिकारी / अन्य किसी एजेंसी द्वारा कोई चालान / जुर्माना लगाया जाता है तो उसका भुगतान गाड़ी स्वामी /ट्रैवल एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
20. गाड़ी स्वामी /ट्रैवल एजेंसी को समय समय पर जारी समस्त सरकारी दिशा निर्देशों कि शत प्रतिशत अनुपालना करनी होगी |
21. वाहन को तीन वर्ष के लिए किराए पर लिया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार बैंक इस अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकता है एवं बैंक को यह अधिकार होगा की बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकते है |
22. गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं अन्य दस्तावेज़ जिससे मालिकाना हक का पता चले, गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी द्वारा बैंक को उपलब्ध कराने होगें ।
23. गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी व बैंक के बीच कर्मचारी / मालिक के प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होगा । चालक पूर्णतया गाड़ी स्वामी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसका वेतन / मजदूरी व अन्य खर्च आदि का भुगतान गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी स्वयं करेगा ।
24. गाड़ी स्वामी / ट्रैवल एजेंसी द्वारा श्रम कानून से संबन्धित सभी प्रावधानों का अनुपालन अपने स्तर पर किया जाएगा। इस विषय मे बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी ।
25. एग्रीमेंट में सभी खर्चे गाड़ी स्वामी / ट्रेवल एजेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे ।
26. यदि डीजल/पेट्रोल की दरों मे राशि रुपये 10.00, प्रति लीटर की बढ़ोतरी/कमी होती है तो कुल मासिक किराया राशि मे राशि रुपये 1000/- (मात्र एक हज़ार रुपये) अतिरिक्त बढ़ाया/घटाया जाएगा, साथ ही उपरोक्त पेरा संख्या 9 मे निर्धारित सीमा से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर राशि रुपए 1.00 (मात्र एक रुपये) की बढ़ोतरी/कमी की जाएगी ।
27. निविदाकर्ता को वित्तीय बिड के साथ उपरोक्त वर्णित नियम व शर्तों के अनुसार साक्ष्य रूपी दस्तावेजो की स्व हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा |
28. किसी भी वाद के लिए न्यायपालिका क्षेत्र जोधपुर होगा ।

आज्ञा से :-

महाप्रबंधक                                        दिनांक :

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय, जोधपुर

# निविदा

दिनांक ................

सेवा मे,

श्रीमान महाप्रबंधक
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय
जोधपुर

महोदय,

**<u>टैक्सी निविदा के संबंध मे</u>**

आपकी साधारण सूचना दिनांक 20/11/2024 के संबंध मे मेरे/हमारे द्वारा निम्न दर पर किराए की टैक्सी देने की सहमति प्रदान की जाती है :-

| क्रम संख्या | गाड़ी का नाम विवरण (Make एवं model सहित) सहित | मासिक किराया रुपये (2000 KM तक) |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |

उपरोक्त मासिक किराए पर बैंक द्वारा साधारण सूचना दिनांक DD/MM/YYYY मे बताई गई शर्तों अनुसार गाड़ी किराए पर देने हेतु मैं/हम सहमत है ।

भवदीय,

( )

मालिक का नाम :-

फर्म / कंपनी का नाम :-

पूर्ण पत्ता :-

मोबाइल नंबर :-

संलग्न :- सम्बंधित सहायक/ साक्ष्य दस्तावेज